Standard of Living of Imams of India

1794. SHRI K. R. MALKANI : Will the Minister of WELFARE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Imams in India are living in poverty; if so, what is Government's proposals of subsidising Imams' wages ;

(b) whether Government would give some idea of the cost of this scheme for the States and for the Centre; and

(c) whether Government is thniking of subsidising the temple Pujaris, many of whom are lso living in abject poverty ?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI) : (a) No Survey/Study has been conducted by or under the aegis of the Ministry of Welfare to assess the economic status of the Imams in the country.

(b) The Supreme Court in a Judgement delivered in May, 1993 has, interalia, directed the Union of India and the Central Wakf Council to frame a scheme for payment of salaries and allowances to Imams of mosques in the country, takIng the salary structure prevalent in the Punjab and Haryana region as a model. There is no direction that the payment be made from the Government funds.

(c) There is no such proposal under consideration of the Government.

गोद लेने की प्रक्रिया में संशोधनों के लिए प्रतिवेदन

1795. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोद लेने के सभी पहलुओं से संबंधित मार्ग निर्देशों में संशोधन करने तथा उन्हें पुनः तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति श्री पी० एन० भगवती की अध्यक्षता में गठित कृतिक बल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो कृतिक बल द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें क्या-क्या हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात सहित गोद लिये बच्चों की राज्य-वार संख्या कितनी-कितनी है;

(घ) क्या इन सिफारिशों के लिये क्रियान्वयन के संबंध में सरकार द्वारा कोई विशेष निर्देश जारी किये गये है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) कार्यबल की मुख्य सिफारिशों की मुख्य-मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण में दी गई है। (**नीचे देखिए**)।

(ग) पिछले जिन वर्षों के दौरान दत्तक ग्रहण किए गए बच्चों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न अनुपत्र में दिया गया है। (**देखिए** परिशिष्ट 170, अनुपत्र सं० 41)

(घ) और (ङ) यह मामला विचाराधीन है।

विवरण

कृतिक बल द्वारा की गई सिफारिशों की मुख्य बातें इस प्रकार है:—

1. केन्द्रीय दत्तकग्रहण संसाधन एजेंसी, कल्याण मंत्रालय की भूमिका

(1) भारतीय बच्चे के दत्तकग्रहण हेतु मूल आवेदन/कागजात विदेशी सूचीबद्ध एजेंसियों द्वारा केन्द्रीय दत्तकग्रहण संसाधन एजेंसी को एक फोटो प्रति भेजते हुए सीधे भारतीय मान्यता प्राप्त स्थापन एजेंसी को प्रस्तुत किए जा सकते हैं। केन्द्रीय दत्तकग्रहण संसाधन एजेंसी को निर्धारित समय सीमा अर्थात् आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पांच सप्ताह के भीतर संबंधित स्थापन एजेंसी को विध्यरेंस सर्टिफिकेट उपलब्ध करना होता है। विद्यमान